# प्रेस नोट दि0-03.05.2025

## थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धयों के खलाफ कड़ा एक्शन
 हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अ भयोग से संबं धत 01 वांछित अ भयुक्त गरफ्तार
थाना देल्हूपुर पु लस टीम द्वारा अ भयुक्त को शनिदेव धाम रेलवे स्टेशन वश्वनाथगंज के सामने मोड़ के पास से गरफ्तार कया गया।

घटना का सं क्षप्त का ववरण-
वादी मोटर साइ कल से वश्वनाथगंज स्टेशन से घर जाते समय एक अपरि चत व्यक्ति ने लफ्ट मांगा। वादी नें रोक कर उसे बैठा लया और कुछ दूर जाने पर रेलवे नहर पु लया भवानीपुर मे उस व्यक्ति ने बाइक रोकने को कहा वादी जैसे ही बाइक रोक कर उसे उतारता है क बगल झाड़ी से पांच व्यक्ति आये और वादी पर टूट पड़े । लाठी,डण्डो से वादी पर हमला कर घायल कर दिया । वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 111/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस बनाम 02 नामजद अ भयुक्त व 03 व्यक्ति अज्ञात का अ भयोग पंजीकृत कया गया था ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के अंतर्गत अपर पु लस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार एवं क्षेत्रा धकारी रानीगंज श्री वनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 ध्रुव संह मय हमराह का0 वकास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अ भयुक्त व ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अ भयुक्त तिलक तिवारी उर्फ मुकुल्ले तिवारी पुत्र स्व0 मकदूम तिवारी निवासी ग्राम भवानीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र देल्हूपुर के शनिदेव धाम रेलवे स्टेशन वश्वनाथगंज के सामने मोड़ के पास से गरफ्तार कया गया।

 गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-
01- तिलक तिवारी उर्फ मुकुल्ले तिवारी पुत्र स्व0 मकदूम तिवारी निवासी ग्राम भवानीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

 गरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 ध्रुव संह, का0 वकास यादव थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा अपराध व अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना सांगीपुर पु लस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सों एक्ट के अ भयोग से संबं धत 01 अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार-

थाना सांगीपुर पु लस टीम द्वारा 01 अ भयुक्त को क्षेत्रान्तर्गत थाना सांगीपुर देऊम चौराहे के पास से गरफ्तार कया गया।

घटना का ववरण-

आरपीगणों द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रकरण में थाना सांगीपुर में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/352/351(3) बीएनएस का अ भयोग बनाम 02 नामजद अ भयुक्त का पंजीकृत कया गया था ।

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलाप में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना सांगीपुर के उ0नि0 आकाश शुकला मय हमराह का0 सर्वेन्द्र चौहान, का0 राम निवास, का0 अ मत यादव द्वारा दिनांक 03.05.2025 को देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारंटी अ भयुक्त व ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत अ भयोग अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/352/351(3)/65 (1) बीएनएस व 34 (2) पाक्सो एक्ट से संबं धत 01 वांछित अ भयुक्त रमेश दास पुत्र स्व0 सुरेश दास निवासी ग्राम देवराम थाना बहेरा जनपद दरभंगा बिहार को क्षेत्रान्तर्गत देऊम चौराहे के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01- रमेश दास पुत्र स्व0 सुरेश दास निवासी ग्राम देवराम थाना बहेरा जनपद दरभंगा बिहार ।

पु लस टीम का ववरण-

उ0नि0 आकाश शुकला मय हमराह का0 सर्वेन्द्र चौहान, का0 राम निवास, का0 अ मत यादव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

## थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा अपराध व अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना महेशगंज पु लस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सों एक्ट के अ भयोग से संबं धत 01 अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार-

थाना महेशगंज पु लस टीम द्वारा 01 अ भयुक्त को क्षेत्रान्तर्गत थाना महेशगंज आजाद नगर नहर पु लया के पास से गरफ्तार कया गया।

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलाप में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना महेशगंज से उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का0 रामप्रकाश द्वारा दिनांक 03.05.2025 को देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारंटी अ भयुक्त व ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में पंजीकृत अ भयोग अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/64 B.N.S. व 4 (2) पाक्सो एक्ट से संबं धत 01 वांछित अ भयुक्त सतीश सरोज पुत्र सन्तलाल सरोज निवासी ग्राम ख्मतीपुर (आजादनगर) थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत आजाद नगर नहर पु लया के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-
01- सतीश सरोज पुत्र सन्तलाल सरोज निवासी ग्राम ख्मतीपुर (आजादनगर) थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पु लस टीम का ववरण-
उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का0 रामप्रकाश थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

## थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा अपराध व अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना कुण्डा पु लस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अ भयोग से संबं धत 01 अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार
थाना कुण्डा पु लस द्वारा 01 अ भयुक्त को गरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

घटना का सं क्षप्त ववरण-
दिनांक 01.05.2025 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा थाना कुण्डा पर ल खत नामजद तहरीर दिया क मेरी पुत्री कुण्डा कस्बा की एक स्कूल की छात्रा है । जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष 6 माह है। मेरी पुत्री के साथ मैजिक वैन ड्राइवर आरोपी शवकरन साहू द्वारा अभद्र व्यवहार कया गया है। उक्त घटना का तत्काल थाना कुण्डा पु लस द्वारा संज्ञान लेकर परिजनों की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अन्तर्गत धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम शवकरन साहू पंजीकृत कया गया था ।

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलाप में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना कुण्डा पु लस द्वारा घटना की गहनता से जाँच की शुरू की । पी ड़ता का मे डकल परीक्षण महिला डायग्नोस्टिक से कराया गया। मे डकल की रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आये। अ भयोग उपरोक्त में धारा 65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है । पी ड़ता ने

अपने माता पता के सामने आरोपी की पहचान की पुष्टि की गई थी । जिसके आधार पर दिनांक- 03.05.2025 को आरोपी मैजिक वैन ड्राइवर आरोपी शवकरन साहू पुत्र राम लखन साहू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी हनुमत नगर वार्ड नंबर 12 थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ को गरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है । पूरे प्रकरण में थाना स्थानीय पु लस द्वारा सबूतों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है । ववेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आयेगे उसके आधार पर अ ग्रम व धक कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में आगे भी तथ्यों के आधार पर अ ग्रम व धक कार्यवाही की जायेगी ।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01- मैजिक वैन ड्राइवर आरोपी शवकरन साहू पुत्र राम लखन साहू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी हनुमत नगर वार्ड नंबर 12 थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ ।

पु लस टीम का ववरण-

उ0नि0 रोहित संह मय हमराह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

नोट- यदि कोई शरारती तत्व भ्रामक खबर फैलाने का कार्य करेगा उसके वरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

## थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ

➡बीट आरक्षी लालजी राम की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अ भयुक्त गरफ्तार

➡थाना पट्टी के बीट आरक्षी लालजी राम ने गैंगस्टर अ भयुक्त पर कसा शकंजा

➡बीट आरक्षी लालजी राम ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

➡एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लये थाना पट्टी के आरक्षी लालजी राम को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

➡थाना पट्टी पु लस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत घर के पास से गैंगस्टर 01 अ भयुक्त आजाद को गरफ्तार कया गया ।

➡ गरफ्तार गैंगस्टर अ भयुक्त गोवध निवारण अ ध0, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में सं लप्त अपरा धयों की गरफ्तारी हेतु बीट पु ल संग प्रणाली को मजबूत कया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी लालजी राम के सहयोग से थाना पट्टी पु लस द्वारा मु0अ0सं0- 120/ 2025 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गरोह बन्द एवं समाज वरोधी क्रया कलाप (निवारण) अ धनियम 1986 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अ भयुक्त आजाद पुत्र स्व0 वकील अहमद नि0 रेडगारापुर निवासी ग्राम सराय

मधई थाना पट्टी जनपद को आज दिनांक 03.05.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत घर के पास से  गरफ्तार  कया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के  गरफ्तार अ भयुक्त का  ववरण-

आजाद पुत्र स्व0 वकील अहमद नि0 रेडगारापुर निवासी ग्राम सराय मधई थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपरा धक इतिहास-

1-मु.अ.सं165/2023 धारा 3/5 (A) (VII)/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अ धनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

2-मु.अ.सं. 60/25 धारा 3 (5) /115 (2) / 352/351(2)/324(2) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

3-मु.अ.सं.120/25 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश  गरोह बन्द एवं समाज  वरोधी  क्रया कलाप (निवारण) अ धनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

## थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ

मोटर साइ कल चोरी करने वाला 01 शातिर अ भयुक्त थाना महेशंगज पु लस की  गरफ्त में-

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धयों के  खलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना महेशगंज पु लस द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम पुरे  कशनी भट्टे के पास से चोरी की 01 मोटर साइ कल के साथ अ भयुक्त को  कया गया  गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त  ववरण-

दिनाक 30-05-2025 की रात को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटर साइ कल को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अन्नावा से चोरी कर  लए थे । जिसके संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 82/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अ भयोग पंजीकृत  कया गया था ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक  क्रयाकलाप में सं लप्त अपरा धयों के  वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में अपर पु लस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्रा धकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता द्वारा थाना महेशगंज थानाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार  संह के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार मय हमराह हे0का0  शवेन्द्र  सह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अ भयुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चे कंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर थाना पट्टी के मु0अ0सं0 82/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबं धत 01 अ भयुक्त साहिल गौतम पुत्र  वनोद कुमार गौतम निवासी ग्राम लाल पट्टी थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ को चोरी की 01 मोटर साइ कल के साथ थानाक्षेत्र के ग्राम पुरे  कशनी भट्टे के पास से  गरफ्तार  कया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

पूछताछ का  ववरणः-

 गरफ्तार अ भयुक्त ने पूछताछ में बताया  क मैंने यह मोटरसाइ कल को दिनांक 30/04/2025 की रात्रि में ग्राम अन्नावा से चोरी की थी, जिसे लेकर छुपा दिया था ।

 गरफ्तार अ भयुक्त का  ववरण-
1.साहिल गौतम पुत्र  वनोद कुमार गौतम निवासी ग्राम लाल पट्टी थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़ ।

बरामदगी का  ववरण-
 चोरी की 01 मोटर साइ कल बरामद ।

 गरफ्तार करने वाली पु लस टीम-
उ0नि0 सुनील कुमार मय हमराह हे0का0  शवेन्द्र  सह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।